

पत्रांक :-03/RUSA-SNA SPARSH-01/2024 232/१५४

झारखण्डसरकार  
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग  
(उच्च शिक्षा प्रभाग)

प्रेषक,

सुधीर बाड़ा (भा0प्र0से0),  
निदेशक, उच्च शिक्षा।

अतिरिक्त राज्यांश

सेवा में,

अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,  
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखण्ड, राँची।  
अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी(उच्च शिक्षा),  
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांक 30/01/2026

विषय:- वित्तीय वर्ष 2025-26 में राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (RUSA/PM-USHA) अंतर्गत विभिन्न अव्यवों (Components) में स्वीकृत योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु SNA SPARSH प्रणाली के तहत भारत सरकार के द्वारा निर्गत Mother Sanction में अतिरिक्त राज्यांश (Top-up) की राशि रु0 10,00,00,000/- (दस करोड़ रुपये) मात्र के भुगतान हेतु आवंटन प्रदान करने के संबंध में।

प्रसंग :- शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक F.No.702/IFD/HE/2025-26 (Jharkhand) MS2 दिनांक 16.12.2025

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक एवं विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-229/बजट दिनांक 29.01.2026 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2025-26 में राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (RUSA/PM-USHA) अंतर्गत विभिन्न अव्यवों (Components) में स्वीकृत योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु SNA SPARSH प्रणाली के तहत भारत सरकार के द्वारा निर्गत Mother Sanction में अतिरिक्त राज्यांश (Top-up) की राशि रु0 10,00,00,000/- (दस करोड़ रुपये) मात्र की आवंटन निम्नवत् प्रदान का जाती है-

क्र0	DDO एवं कोड	विपत्र कोड	आवंटित राशि
1	श्री मनोहर आलम, अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी (DRNSCT001)	21X22020310279010678	8,80,00,000=00
2	श्री सुधीर कुमार, अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी (DRNEDN046)	21X22020310279010678	1,20,00,000=00
	कुल योग-		10,00,00,000=00

2. अतिरिक्त राज्यांश के रूप में विमुक्त राशि का विकलन वित्तीय वर्ष 2025-26 की केन्द्र प्रायोजित स्कीम बजट के निम्नांकित शीर्ष -

(क) मुख्यशीर्ष-2202 सामान्य शिक्षा, 03-विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा, लघु शीर्ष-102-विश्वविद्यालयों को सहायता, उप शीर्ष-79- केन्द्र प्रायोजित योजना अंतर्गत राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान- (केन्द्रांश 60 : राज्यांश 40), विस्तृत शीर्ष-06 अनुदान,78-पूँजी परिसम्पत्ति के सृजन हेतु अनुदान (विपत्र कोड-21X220203102790678)

(ख) मुख्यशीर्ष-2202 सामान्य शिक्षा, 03- विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा, लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उप शीर्ष-79- केन्द्र प्रायोजित योजना अंतर्गत राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान- (केन्द्रांश 60 : राज्यांश 40), विस्तृत शीर्ष-06 अनुदान,78-पूँजी परिसम्पत्ति के सृजन हेतु अनुदान (विपत्र कोड-21X220203789790678) एवं

(ग) मुख्यशीर्ष-2202 सामान्य शिक्षा, 03- विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा, लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना, उप शीर्ष-79- केन्द्र प्रायोजित योजना अंतर्गत राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान- (केन्द्रांश 60 : राज्यांश 40), विस्तृत शीर्ष-06 अनुदान,78-पूँजी परिसम्पत्ति के सृजन हेतु अनुदान (विपत्र कोड-21X220203796790678) मद से किया जायेगा।

3. स्वीकृत राशि की निकासी के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, श्री सुधीर कुमार, अवर सचिव (उच्च शिक्षा) (DRNEDN046 ) एवं श्री मनौवर आलम, अवर सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग (DRNSCT001) होंगे, जो संबंधित State Link Scheme के Drawing account से राशि की निकासी करेंगे।


4. व्यय उपरान्त स्वीकृत राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार झारखण्ड एवं विभाग को ससमय उपलब्ध कराया जाय।

5. झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 174 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

6. महालेखाकार का कार्यालय, अंकेक्षण/वित्त (अंकेक्षण) विभाग को विमुक्त एवं निकासी की गई राशि के अंकेक्षण का अधिकार होगा।

7. स्वीकृत्यादेश संख्या 229/बजट दिनांक 29.01.2026 की अन्य शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

विश्वासभाजन

  
30.1.26

(सुधीर बाड़ा)

निदेशक, उच्च शिक्षा।

ज्ञापांक-03/RUSA-SNA SPARSH-01/2024 232/948 रॉची, दिनांक- 30/01/2026

प्रतिलिपि--महालेखाकार का कार्यालय, झारखण्ड, रॉची/ कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, रॉची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

  
30.1.26

(सुधीर बाड़ा)

निदेशक, उच्च शिक्षा।

ज्ञापांक-03/RUSA-SNA SPARSH-01/2024 232/948 रॉची, दिनांक- 30/01/2026

प्रतिलिपि --विभागीय प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/प्रबंध निदेशक, झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, रॉची/निदेशक, उच्च शिक्षा के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक, राज्य परियोजना निदेशालय, रूसा/ अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, रूसा/अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, उच्च शिक्षा/ अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग/लेखा शाखा, उच्च शिक्षा, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित तथा नोडल पदाधिकारी को विभागीय पोर्टल पर अपलोड करने हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

  
30.1.26

(सुधीर बाड़ा)

निदेशक, उच्च शिक्षा।





आवंटन आदेश

झारखंड सरकार

Higher and Technical Education Department (Higher Education Division)

चाहू वित्तीय वर्ष 2025-26 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है

पत्र संख्या - 3/R-SNA-01/2024/232/BUDGET

दिनांक - 30-Jan-2026

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	X 21 22020310279010678 2202 - सामान्य शिक्षा 03 - विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा 102 - विश्वविद्यालयों को सहायता 79 - केन्द्र प्रायोजित योजना अंतर्गत राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान 01-राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान 06 - अनुदान	90222	DRNSCT001 MANAUWAR ALAM U/S HIGHER & TECHNICAL EDU DEP	88,000,000.00 रुपये आठ करोड अस्सी लाख
State Scheme :		RASHTRIYA UCHCHATAR SHIKSHA ABHIYAN (RUSA)(0935)		
Central Scheme :		RASHTRIYA UCHHATAR SIKSHA ABHIYAN(9170)		

2	X 21 22020310279010678 2202 - सामान्य शिक्षा 03 - विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा 102 - विश्वविद्यालयों को सहायता 79 - केन्द्र प्रायोजित योजना अंतर्गत राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान 01-राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान 06 - अनुदान	90223	DRNEDN046 SUDHIR KUMAR UNDER SECT.HIGHER EDU.DIR.JHA.	12,000,000.00 रुपये एक करोड बीस लाख
State Scheme :		RASHTRIYA UCHCHATAR SHIKSHA ABHIYAN (RUSA)(0935)		
Central Scheme :		RASHTRIYA UCHHATAR SIKSHA ABHIYAN(9170)		

योग: रुपये दस करोड

100,000,000.00

*Sudhir Bara*

(SUDHIR BARA)  
DIRECTOR